हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी ने जिस भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 695 रकबा 0.86 हैक्टर में से रास्ते की मांग की है। उस भूमि के अधिकार अभिलेखों में कुल पांच सहखातेदार है। जबकि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में चार सहखातेदारान को ही बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाये गये हैं। रिकॉर्ड में दर्ज एक सहखातेदार वनकी पुत्री किशनाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार आवेदक प्रार्थी वर्तमान में अपनी भूमि में आवागमन के लिये पडौसी खसरों का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार आवेदक को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने तथा प्रकरण में वर्णित भूमि खसरा नंबर 695 के समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन की वजह से चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner